न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/3327/2003/सवाई माधौपुर

1– चिरंजी लाल पुत्र श्री वल्लभ जी जाति दमामी निवासी ग्राम खिजूरी तहसील व जिला सवाई माधौपुर।

.....अपीलांट

बनाम

1– डूंगरसिंह,
2– राजेन्द्रसिंह,
3– सुरेन्द्रसिंह उर्फ पप्पू,
4– बिजेन्द्रसिंह पिसरान भंवरलाल जाति दमामी निवासी खिजूरी तहसील व जिला सवाई माधौपुर।
5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सवाई माधौपुर।

..... रैस्पोडेंट

खण्ड पीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अपीलांट।
(2) श्री अयूब खान, अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 ल0 4

निर्णय

दिनांक : 13 अगस्त, 2019

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधौपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23–06–2003 अपील सं0 211/2002 बउनवानी डूंगरसिंह बनाम चिरंजीलाल के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी चिरंजीलाल ने एक वाद तकासमा आराजीयात, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा के अन्तर्गत विचारण न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 515/6, 519/3 कुल रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा बारानी दोयम वाके ग्राम खिजूरी बुर्जुगों की आराजीयात है। लगभग 50 वर्ष पूर्व यह आराजी वादी के पिता एवं प्रतिवादीगण वल्लभ जी दादाजी के खाते थी और उसम समय से ही आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता का बराबर हिस्सा था। प्रतिवादीगण के पिता वादी के बड़े भाई थे। इस कारण उक्त आराजी की खातेदारी प्रतिवादीगण के पिता भंवरलाल के नाम लग गई। आराजीयात शामलात में चलती रही। करीब 5–6 साल पहले प्रतिवादीगण के पिता भंवरलाल का देहान्त हो गया और देहान्त होने के बाद भी यह आराजी शामलात में काश्त

होती रही जो अभी भी चल रही है। करीब 4 साल हुआ, प्रतिवादीगण वादी से बदल गये और उन्होंने बिना वादी की सहमति के चुपचाप उक्त आराजी को सवाई माधौपुर सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 शाखा खण्डार से कुए पर इंजन लगाने के लिए गिरवी रखकर कर्जा ले लिया। अतः दुरूस्ती इन्द्राज कर दावे में अंकित आराजी शामलाती होने के कारण वादी के नाम आधे हिस्से की खातेदारी करते हुए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर उक्त पैतृक आराजी का तकासमा किया जावें। विद्धान विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिसमें से प्रतिवादी सं0 5 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये और प्रतिवादी सं0 1 ल0 4 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने उभयपक्षकारान की बहस सुनी जाकर तनकीयात कायम करते हुए दिनांक 30–09–2002 को वादी का वाद डिक्री कर दिया जिसकी प्रथम अपील अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधौपुर में अपीलांट डूंगरसिंह वगैर द्धारा प्रस्तुत होने पर अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 23–06–2003 से अपीलांट डूंगरसिंह की अपील स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दि0 30–09–2002 निरस्त कर दिया गया जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 23–06–2003 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3– दोनो पक्षो के विद्धान अधिवक्तागण की अपील पर बहस सुनी गयी।

4– विद्धान अधिवक्ता अपीलांट का तर्क है कि अपीलीय न्यायालय द्धारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया कि वादी/अपीलांट द्धारा जो वाद विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है वह ख0 नं0 515/6 व 519/3 के बाबत है जो उनकी पुश्तैनी आराजी है जिसमें अपीलांट/वादी का आधा हिस्सा है। इस संबंध में और भी अन्य आराजी थी जिसके बारे में पूर्व में बंटवारा हो चुका है। उक्त आराजी जामना व भात के लिए सुरक्षित रखी गयी और परिवार में बड़े होने के नाते भंवरलाल ने अपने नाम उक्त आराजी को रखा। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में अन्य आराजीयात के बाबत भी जिक्र किया और यह भी माना कि भंवरलाल व चिरंजीलाल के आधा–आधा हिस्सा दर्ज है तब उक्त वादग्रस्त आराजी को पुश्तैनी नही मानने का कोई कारण नहीं था और न ही अपीलीय न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि भंवरलाल के पास उक्त आराजी किस प्रकार से आयी थी। केवल मात्र जमाबन्दी के इन्द्राज का प्रिजम्पशन मानकर अपना निर्णय पारित किया है जबकि उक्त जमाबन्दी के इन्द्राज को वादी/अपीलांट द्धारा उक्त वाद में चैलेन्ज किया गया है। जब स्वयं अपीलांट वादी एडमिट करता आ रहा है कि राजस्व रेकार्ड में भंवरलाल ने अपना नाम दर्ज करा लिया। अपीलीय न्यायालय के समक्ष जो

दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये उनमें प्रदर्श–2 नामान्तकरण व प्रदर्श–3 बंटवारानामा के सबूत थे जिसमें आराजी पुश्तैनी है और आपस में भाई होने के कारण आधा–आधा हिस्से के हकदार थे। अपीलीय न्यायालय ने आदेश 41 नियम 31 सी0पी0सी0 के तहत निर्णय पारित नहीं किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय का निर्णय दि0 26–06–2003 को अपास्त करते हुए विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दि0 30–09–2003 यथावत रखा जावें।

5– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता रैस्पोडेंट का तर्क है कि विचारण न्यायालय ने प्रश्नगत आराजी में चिरंजीलाल का 1/2 हिस्से का गलत खातेदार घोषित किया है। राजस्व रेकार्ड में चिरंजीलाल का नाम नहीं है। प्रश्नगत आराजी का पूर्व में ही तकासमा हो चुका था। सम्वत् 2009 से 2023 तक के दसतावेजात में चिरंजीलाल का नाम नहीं है। यह भंवरलाल की आवंटनशुदा आराजी है, पैतृक आराजी नहीं है। इसलिए अपीलीय न्यायालय का निर्णय कानूनी एवं न्यायसंगत होने से अपीलांट की अपील काबिल खारिज योग्य है।

6– हमने विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30–09–2002 में तनकीयात कायम करते हुए उभयपक्षों द्धारा कलमबंद कराये गये बयानामा व प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 23–06–2003 में माना कि वादग्रस्त आराजी पैतृक नहीं है तथा अपीलांट द्धारा जो दस्तावेजी साक्ष्य पेश की है से भी पैतृक सम्पति नहीं होकर भंवरलाल के तन्हा खाते की आराजी रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य पर गौर किये बिना रेस्पो0 को वादग्रस्त आराजी पर 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करने का तकासमा करने का जो आदेश पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य माना है।

7– प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी सम्वत् 2043 से 2046 में रेस्पो0 डूंगरसिंह, राजेन्द्रसिंह, सुरेन्द्रसिंह एवं बिजेन्द्रसिंह पिता भंवरलाल के ख0 नं0 515/6 व 519/3 खातेदार दर्ज रेकार्ड है एवं इसी प्रकार का अंकन नकल जमाबन्दी प्रदर्श–7 में भी किया हुआ है। जमाबन्दी रेकार्ड ऑफ राईट अनुसार वादग्रस्त भूमि पूर्व में भंवरलाल के नाम खातेदारी में दर्ज नहीं है तथा भंवरलाल के फौत होने पर वादग्रस्त आराजी रेस्पो0 की खातेदारी में दर्ज है। अपीलीय

न्यायालय ने अपने निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय द्धारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पर कोई विचार किये बिना रेस्पो0चिरंजीलाल को वादग्रस्त आराजी पर 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करने का तकासमा करने हेतु अपीलाधीन आदेश पारित किया है, उसे त्रुटिपूर्ण मानकर अपास्त किया है जिसमें हमारे मतानुसार किसी प्रकार की कोई विधिक कानूनी त्रुटि नजर नहीं आती है। इसलिए अपीलांट चिरंजीलाल द्धारा प्रस्तुत हस्तगत अपील में कोई सार नहीं पाये जाने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

8- अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट की खारिज की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधौपुर द्धारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23-06-2003 व उप जिला कलक्टर, सवाई माधौपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 30-09-2002 यथावत रखें जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य